उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-6
संख्या-250/2025/1534/23-6099/95/2025
लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2025

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 05 मार्गों के चालू कार्य के धनावंटन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-169/2025/932/23-6099/95/2025, दिनांक 31.05.2025 में अंकित तालिका के क्रमांक-5 के कॉलम-4 में अंकित कार्य का विवरण कॉलम में मार्ग के नाम में 'माधौगढ उमरी कुठौन्द वाया जाजेपुरा मार्ग पर जालौन देवी मन्दिर हेतु चैनेज 1.700 से 10.700' के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 'माधौगढ उमरी कुठौन्द वाया जाजेपुरा मार्ग पर जालौन देवी मन्दिर हेतु चैनेज 1.700 से 2008, अंकित हो गया है।

अतः उपर्युक्त शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-5 के कॉलम-4 में अंकित मार्ग का नाम "माधौगढ उमरी कुठौन्द वाया जाजेपुरा मार्ग पर जालौन देवी मन्दिर हेतु चैनेज 1.700 से 2008" के स्थान पर " माधौगढ उमरी कुठौन्द वाया जाजेपुरा मार्ग पर जालौन देवी मन्दिर हेतु चैनेज 1.700 से 10.700" पढ़ा जाय।

2- शासनादेश सं0-169/2025/932/23-6099/95/2025, दिनांक 31.05.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
5- विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य अनुभाग, उ०प्र० शासन।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
17- गार्ड फाईल।

शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in